मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सीएस:1:05:138:I :सीएस
31 जनवरी, 2020

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-**400 051**	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-**400 001**

विषय: <u>पीटीआई एवं अन्य के न्यूज़ आइटम जिसका शीर्षक है "PFC, REC merger hits roadblock" पर स्पष्टीकरण</u>

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक लेख में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां हैं और पीएफ़सी द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं :

1. <u>आरबीआई मानदंडों के संबंध में स्पष्टीकरण</u>

क्रेडिट संकेंद्रण (कोंसेंट्रेशन) मानदंडों (अर्थात लेंडिंग एक्सपोजर मानदंड) से संबंधित पीएफ़सी पर लागू आरबीआई मानदंडों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि –

क. निजी क्षेत्र को ऋण देने के मामले में, पीएफ़सी और आरईसी अलग-अलग एकल ऋणकर्ता/परियोजना को अपनी नेटवर्थ का 25% तथा ऋणकर्ता के समूह को 40% तक का ऋण दे सकते हैं। पीएफ़सी की वर्तमान नेटवर्थ को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।

विलय के मामले में भी, विलय की गई एंटिटी की समेकित नेटवर्थ को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्र को ऋण देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है और इसलिए एक्सपोजर में कमी का कोई मामला उत्पन्न नहीं होता है।

ख. सरकारी ऋणकर्ताओं को ऋण देने के मामले में, पीएफ़सी एवं आरईसी के पास वर्तमान में सरकारी ऋणकर्ताओं के लिए क्रेडिट संकेंद्रण (कोंसेंट्रेशन) मानदंडों के संबंध में आरबीआई से छूट प्राप्त है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट किया जाता है कि पीएफ़सी की ओर से ऋणकर्ताओं/परियोजनाओं को इसके लेंडिंग एक्सपोजर के संबंध में अनुपालन संबंधी कोई मामला नहीं है और इसी तरह विलय के

मामले में भी विलय की गई एंटिटी के लेंडिंग एक्सपोजर के संबंध में आरबीआई मानदंडों के अनुपालन संबंधी कोई मामला नहीं दिखाई देता है।
पीएफ़सी की ऋण राशियों के संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बैंक और अन्य ऋणदाताओं को पीएफ़सी और आरईसी को ऋण देते समय नियामक मानदंडों का अनुपालन करना होता है। इसलिए ऋण राशियों के संबंध में पीएफ़सी और आरईसी के लिए नियामक अनुपालन संबंधी ऐसा कोई मामला नहीं है। इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि बैंकों एवं अन्य ऋणदाताओं ने भी यह इंगित करते हुए संपर्क नहीं किया है कि उन्होंने किसी नियामक मानदंड का उल्लंघन किया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें ऋण राशियों और विलय के मामले में भी अनुपालन संबंधी मामले की उम्मीद नहीं है।

2. <u>ऋण राशियों की ब्याज दर</u>

इस लेख द्वारा अधिग्रहण प्रयोजन के लिए पीएफ़सी की ऋण राशि लागत 7.25% और सामान्य ऋण राशियों के लिए 4.25% इंगित की गई है जो तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

आपकी जानकारी और रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
मुख्य महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com